अमरगढी नगरपालिका
# नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डडेल्धुरा
सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल

प.स.०८०/०८१
च.नं. ९०६

फोन ०९६४१०२२...
०९६४१००५...
०९६४१००२...

मितिः-२०८०।०९।२२

**बिषयः** - आय व्ययको प्रक्षेपण पठाईएको ।

श्री अर्थ मन्त्रालय,
सिंह दरवार काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत बिषयमा यस कार्यालयको अन्तर सरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १८ बमोजिम आगामी आ.व. २०८१/८२ को आय व्ययको प्रक्षेपण प्रतिवेदन यसै साथ संलग्न गरि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

२०८०।९।२२

लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ :
श्री प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त व्यवस्थापन आयोग,
सिंह दरवार काठमाण्डौ ।
श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
काठमाण्डौ ।

# राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन

## २०८०

अमरगढी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डडेल्धुरा
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

अमरगढी नगरपालिका

राजस्व परामर्श समिति

पौष २०८०

CamScanner

**भूमिका**

मुलुक संघियतामा प्रवेश गरे लगतै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच बर्ष भन्दा बढि समय भएको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यका तीन तहका सरकार मध्ये नागरिकका घरआँगनमा सजिलै देखिने भेटिने र प्रत्येक नागरिकको समस्याको समाधान स्थानीय स्तरमा सरल तरिकाले खोज्न हरपल तत्पर हुने तहको रुपमा स्थानीय तह रहेको छ । मुलुकमा रहेका धेरैजसो स्थानीय स्तरको समस्याको हल गर्ने जिम्मेवारी समग्रमा सवै तहको हुन्छ । मुलुकको समृद्धि सवै नागरिकको समृद्धिसँग गाँसिएको विषय हो । मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डोऱ्याउन सरकारको एउटा तह वा अंगको प्रयासले मात्र अपुग सावित हुन्छ । स्थानीय स्तरमा हुने आर्थिक कृयाकलापलाई ब्यवस्थित र दिगो बनाउदै जानेतर्फ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त पहल हुनु जरुरी छ । स्थानीय स्तरमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बारेमा सोच्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारको हुन्छ । प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय विकासका आवश्यकता माथि अवश्य नै ध्यान पुऱ्याउदै आएको छ । स्थानीय तहले गर्ने विभिन्न आयका श्रोतहरु मध्ये आन्तरिक राजस्व पनि एक हो । आन्तरिक आय सदृढ भएका स्थानीय तहको बजेटको श्रोत दिगो हुन्छ । अमरगढी नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने आन्तरिक आय मध्ये बहालकर र ब्यवसायकर को हिस्सा ठुलो रहेको छ । कतिपय कर राजस्वको क्षेत्रमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार दुबैको साझा अधिकारको ब्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६५ र नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) बमोजिम मेरो संयोजकत्वमा स्थानीय राजश्व परामर्श समिति गठन भई गत बर्ष निर्धारण भएका आन्तरिक राजस्व र हाल सम्मको राजस्व प्राप्ति माथि ब्यापक अध्ययन र छलफल गरि आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को लागि यस नगर पालिकाले नगर सभा मार्फत तय गर्ने नीति तथा बजेटका लागि आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा सुझाव दिने उद्देश्यले यो प्रतिवदेन तयार गरिएको छ ।

पार्वती देवी भुकाल
संयोजक
नगर स्तरीय राजस्व परामर्श समिति
अमरगढी नगरपालिका ।

विषयसूची

परिच्छेद १, राजस्व परामर्श समिति
१.१ परिचय
१.२ राजस्व परामर्श समितिको संरचना
१.३ राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद २, अध्ययन विधि
२.१ अध्ययन विधि
२.२ करका दर तथा वर्तमान अवस्था र गरिनुपर्ने संसोधन

परिच्छेद ३, मुख्य सिफारिसहरु
३.१ राजस्व सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन
३.२ मुख्य सिफारिसहरु
३.२ निश्कर्ष

अमरगढी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डडेल्धुरा
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

CamScanner

## १.१ परिचय

नेपालको संविधानको धारा २३० मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान रहेको छ। जसमा प्रत्येक आर्थिक बर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम नगर सभामा पेश गरि पारित गराउनुपर्ने उल्लेख भएको र नगरपालिकाले आम्दानी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ साथै स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ ले पनि नगरपालिका भित्रका राजस्वका श्रोत, दायरा र दर समेत अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

## १.२ राजस्व परामर्श समितिको संरचना

नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा निम्नानुसार राजस्व परामर्श समितिको गठन हुने प्रावधान रहेको छ।

क) नगरपालिकाको उप प्रमुख - संयोजक

ख) नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य

ग) कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य मध्ये बाट एकजना महिला सहित २ जना - सदस्य

घ) निजी क्षेत्रको उद्योग बाणिज्य सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि - सदस्य

ङ) घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि - सदस्य

च) नगपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख - सदस्य सचिव

सबै पदाधिकारी ऐनले तोके बमोजिम हुने गरि राजस्व परामर्श समिति गठन भई कृयाशिल रुपमा काम हुदै आएको छ।

## १.३ राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ (२) र स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ को बुदा नं २.१.२ ले राजस्व परामर्श समितिको काम कर्तब्य र अधिकार निम्न बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ।

(क) राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, संसोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने।

(ख) राजस्वको श्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने।

(ग) राजस्वको दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने।

(घ) स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन र रोजगारी श्रृजनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने।

(ङ) कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर निर्धारण गरि सिफारिस गर्ने।

(च) राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने।

CamScanner

परिच्छेद २

## २.१ अध्ययन विधि

स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकाको नेतृत्व आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट निर्वाचित भई आएको राजनैतिक नेतृत्वले गर्छ। स्थानीय तहले हिजोका दिन भन्दा धेरै भन्दा धेरै जनअपेक्षा पुरा गर्नुपर्ने भएको छ। जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नगरपालिकाले आफुलाई आम्दानीको दर र दायरा बढाउनु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ किनकी संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान निश्चित मात्र हुन्छ। तसर्थ, यस समितिले नगरपालिकाको आफनो सीमाभित्र राजस्वका श्रोत खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। अमरगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिमका अधिकांश कर संकलन गर्ने कार्यमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय संलग्न रहेको थियो। हाल लोक सेवा आयोगबाट सवै वडा कार्यालयहरुको लागि प्रशासनिक दरवन्दीमा पदपुर्ति भईसकेकोमा एघार वटा कार्यालयबाट सम्पत्ति कर संकलन गर्ने कार्य सुरु भएको छ। आर्थिक ऐन, २०७९ मा कायम रहेको करको दरमा कुनै परिवर्तन नगरी करको दायरमा भने सामान्य परिवर्तन भएको छ। २०८० असार मसान्तसम्म संकलित आ.व. २०७९।०८० को राजस्वलाई अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा विगत बर्षमा राखिएको करको लक्ष्यमा नगरपालिका पुग्न नसकि गत आ.व. को लागि राखिएको रु १६००००००।-. को लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्न नसकेको देखिन्छ। गत वर्ष राखिएको लक्ष्यको अध्ययन विष्लेशण तथा २०८० श्रावण महिना देखि २०८० मंसीर महिनासम्म ६३१०७९१।- (त्रिसट्ठी लाख दश हजार सात सय एकानव्वे मात्र) संकलन भएको आन्तरिक राजस्वको अध्ययन विष्लेशणको आधार र आर्थिक ऐन, २०८० मा रहेका दर बमोजिमका कर संकलन गर्दा यस आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा करिव रु १६९२५५८१।- (एक करोड उनान्सत्तरी लाख पच्चीस हजार पांच सय एकासी मात्र) आन्तरिक आय हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। यिनै आधारमा तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिम करका दर र दायरा कायम गर्दा आ.व. २०८०।०८१ मा रु .१६९२५५८१।-. अक्षेरुपी एक करोड उनान्सत्तरी लाख पच्चीस हजार पांच सय एकासी रुपिया मात्र आन्तरिक आम्दानी हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ।

## २.२ करका दर तथा बर्तमान अवस्था र गरिनुपर्ने संसोधन

अमरगढी नगरपालीका आर्थिक ऐन, २०८० मा सम्पत्ति कर अन्तर्गत तथा नयाँ आर्थिक ऐनको लागि निम्न अनुसार दररेट रहेको तथा प्रस्ताव गरिएको छ।

CamScanner

# अनुसूची १

## (दिग्दर्शनको दफा ५.१.१ संग सम्बन्धित)

## आय तथा व्ययकोप्रक्षेपण

### आ.ब २०८० /०८१

| | शिर्षक | आ.व. २०७९/०८० को यतार्त | आ.व. २०८०/०८१ को अनुमान | आ.व. २०८१/०८२ को अनुमान |
|---|---|---|---|---|
| | **आन्तरिक राजस्व** | | | |
| ११३१३ | एकिकृत सम्पती कर | ३६८२ | ४००० | ४००० |
| ११३२१ | घर बहाल कर | ४६८१ | ४००० | ४५०० |
| ११६१३ | ब्यबसाय रजिष्ट्रेशन दस्तूर | १६६३ | २५०० | २७७५ |
| ११६१४ | एफ.एम तथा रेडियो दर्ता दस्तूर | ० | ० | ० |
| ११६९१ | अन्य कर | ५९८ | ५० | ६१ |
| १४२१३ | अन्य बिक्रिबाट प्रप्त रकम | ४४६ | २५० | ५५० |
| १४२१९ | अन्य सेवा शूल्क | | २०० | ३०८ |
| १४२४२ | नक्सापास दस्तूर | ४९० | १४०० | १४०० |
| १४२४३ | सिफारिस दस्तूर | ११४३ | २००० | १५०० |
| १४२४४ | व्यक्तिगत घटना दर्ता | १६७ | २०० | २०० |
| १४२४५ | नाता प्रमाणित | १९ | ५० | ५० |
| १४२४९ | अन्य दस्तुर | ३९२ | ८०० | ५५० |
| १४३११ | न्यायीक दण्ड जरिमाना | ७४० | ४०० | ४०० |
| १४५२९ | अन्य राजश्व | १७६५ | २०० | ५५० |
| | गत बर्षको मौज्दात | ६१५१० | २५००० | ० |
| | जम्मा | | ४१०५० | १६८४४ |
| | संघीय सरकार बाट प्रप्त अनूदान | | | |
| १३३११ | समानीकरण अनूदान | ९९९०० | ९५२०० | १२०००० |
| १३३१२ | शसर्त अनूदान | ४१७३५८ | २२३००० | २६६११५ |
| १३३१३ | बिशेष आूदान | ० | ७००० | १०००० |
| १३३१४ | समपुरक अनुदान | १५००० | २१५०० | २५००० |
| | प्रदेश बाट प्रप्त अनूदान | | | |
| १३३११ | समानीकरण अनूदान | ७३६८ | ७७६३ | ८९१५ |
| १३३१२ | शसर्त अनूदान | | ५८५० | ६५०० |
| १३३१३ | बिशेष आूदान | २५०० | ३५०० | ५००० |
| १३३१४ | समपुरक अनुदान | ० | ८००० | १०००० |
| | राजश्व बांडफांड बाट प्रप्त हूने | | | |
| ११३१५ | घर जग्गा रजिष्ट्रेशन | २३३४ | २००० | ३००० |
| ११४११ | मु अ कर | ५०२२७ | ८५३४४ | ७५००० |
| ११४२१ | अन्त शुल्क | १८६५२ | ० | २५००० |
| ११४५६ | सवारी साधन कर | २९२१ | ३१६६ | ३५०० |
| | जम्मा | | ४६२३२३ | ५५८०३० |
| | कूल जम्मा | ६९३५५६ | ५०३३७३ | ५७४८७४ |
| | **व्यय** | | | |
| | चालू खर्च | | | |
| २१११११ | पारिश्रमिक कर्मचारी | ४१७१९ | ६६३०१ | ७०००० |

अमरगढी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| २१११२ | पारीश्रमीक पदाधिकारी | ० | ० | |
| २११२१ | पोषाक | [illegible]३० | ९३० | १००० |
| २११२३ | औषधि उपचार | ५८ | २५० | २५० |
| २११३१ | स्थानीय भत्ता | १६१७ | २६२८ | २८०० |
| २११३२ | महंगी भत्ता | ११११ | १९०० | २००० |
| २११३३ | फिल्ड भत्ता | १४५६ | ३५०० | ४००० |
| २११३४ | कर्मचारी बैठकभत्ता | ३५१ | १५०० | १६०० |
| २११३९ | अन्य भत्ता | ५१९ | १२०० | १२०० |
| २११३५ | पुरस्कार | १११ | २५० | ३०० |
| २११४१ | पदाधिकारी बै.भत्ता | ८३२ | २५०० | ३००० |
| २११४२ | पदाधिकारी अन्य सूबिधा | १०२७६ | १२००० | १३००० |
| २११४९ | पदाधिकारी अन्य भत्ता | ० | १०० | २०० |
| २१२१४ | कर्मचाऽी कल्याण कोष | ३००० | ३५०० | ४००० |
| २२१११ | पानि बिजूली | ६३३ | १२०० | १२०० |
| २२११२ | सञ्चार महशूल | २८० | १००० | ११०० |
| २२२११ | अन्य सामाजिक सूरक्षा | ३२ | ५५८३ | ४०० |
| २२२१२ | ईन्धन कार्यालय प्रयोजन | ५५०० | ६००० | ६००० |
| २२२१३ | सवारी साधन मर्मत | २५०३ | ३५०० | ४००० |
| २२२१४ | बिमा तथा नबिकरण | ५५८ | १००० | १००० |
| २२२२१ | मेशिनरी औजार मर्मत सम्भार | १०८० | १५०० | १६०० |
| २२२३१ | सा.सम्पति मर्मत सम्भार र सं. | १६६ | १२०० | १४०० |
| २२२९१ | अन्य सम्पति मर्मत सम्भार र सं. | | १२०० | १२०० |
| २२३११ | मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालन | ८२९१ | ११४३० | ११५०० |
| २२४१२ | सूचना प्रणालि सप्टवयरु सञ्चालन | ५९६ | १२०० | १२०० |
| २२४१३ | करार सेवा शूल्क | ० | १५०० | १८०० |
| २२४१९ | अन्य सेवा शूल्क | ७७५ | ३००० | ३००० |
| २२३१३ | पुस्तक तथा सामग्री खर्च | ३०० | ८०० | ८०० |
| २२३१४ | ईन्धन अन्य प्रयोजन | ५०० | ६०० | ६०० |
| १२३१५ | पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना | ७८७ | ५०० | ७०० |
| २२३१९ | अन्य कार्यालय सञ्चालन | ३६५ | ५०० | ५०० |
| २२४११ | सेवा तथा परामर्ष | ३६४ | १५०० | १८०० |
| २२४१४ | सरसफाई सेवा कार्यक्रम | ३९९४ | ४६४० | ४६४० |
| २२५११ | कर्मचारी तालिम खर्च | ७३१ | १००० | १००० |
| २२६११ | अनूगमन मूल्या)कन खर्च | १०४३ | १७७० | १८०० |
| २२६१२ | भ्रमण खर्च | २५४८ | ६९०२ | ३५०० |
| २२६१९ | अन्य भ्रमण खर्च | ८६७ | १००० | १००० |
| २२७११ | बिबिध खर्च | ३१८८ | ४६४७ | ४००० |
| २२७२१ | सभा सञ्चालन खर्च | ५९९ | ७०० | ७०० |
| २८१४२ | घर भाडा | १४३५ | २१०० | २१०० |
| २२५१२ | सिप बिकास तालिम | २१४२ | ७६० | १००० |
| २२५२२ | कार्यक्रम खर्च | २३७७९२ | १८९२३२ | २४५०० |
| २२५२९ | बिबिध कार्यक्रम खर्च | ४३८० | ११७७८ | ६००० |
| २५३११ | शैक्षिक सुस्थाहरुलाई सहायता | १९०० | ९३०० | ५००० |
| २७११२ | अन्य सामाजिक सहायता | ४५१ | ७०० | ६०० |
| २७२१२ | उदार राहत तथा पु.खर्च | २५० | ० | ५०० |
| २७२१३ | औषधी खरिद खर्च | १८२४ | २३०० | २५०० |

CS CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| २८१४३ | सवारी साधन तथा मेसिन औजार भाडा | | ८०० | १००० |
| २८१४३ | अन्य सामाजिक सुरक्षा | | ६५० | ७०० |
| | जम्मा | | ३७८०५१ | २०३६९० |
| .पूजिगत खर्च | | | | |
| ३१११२ | गैर आवासिय भवन निर्माण | ३५१०० | १६००० | १३००० |
| ३११११ | आवासिय भवन निर्माण | १५०० | ४१०० | १६०० |
| ३१११५ | फर्निचर तथा फिक्चस् | १६७३ | ११०० | १७०० |
| ३११२१ | सवारी साधन | ४२७ | २००० | ४२०० |
| ३११२२ | मेशिनरी तथा औजार | २३५० | १३०० | २५०० |
| ३११५९ | अन्य सार्बजनिक निर्माण | २१८३३६ | ६७९७७ | ३०३६२४ |
| ३११४१ | सुचना प्रणाली तथा उपकरण जडान | | १४२० | |
| ३१११५१ | सडक तथा पुल निर्माण | १७८५० | १६१२५ | २०००० |
| ३११५३ | विद्युत संरचना निर्माण | १००० | १००० | १२०० |
| ३११५४ | तटबन्ध तथा बाँध निर्माण | | | |
| ३११३५ | पुँजिगत परामर्श खर्च | २४४८ | २५०० | ३००० |
| ३११५५ | सिंचाई संरचना निर्माण | १२१४ | ९२०० | १३०० |
| ३११५६ | खानेपानी संरचना निर्माण | ५४४१ | ० | ९००० |
| ३११५७ | वन तथा बाताबरण संरक्षण | ४६ | ६०० | ६० |
| ३११५८ | सरसफाई संरचना निर्माण | १२०२ | | ४५०० |
| ३११७१ | पुँजिगत सुधार खर्च | ० | | |
| ३११३५ | पुँजिगत अनुसद्धान परामस खर्च | १२४० | | १३०० |
| ३११३१ | पशुधन तथा बागवानि | १५० | | २०० |
| ३१११४ | जग्गा खरिद | | २००० | ४००० |
| | कुल जम्मा | | १२५३२२ | ३७११८४ |
| | | ६३८२२५ | ५०३३७३ | ५७४८७४ |

अनुसूची १

सम्पत्तीकर /घरजग्गाकर

आ.ब २०८१/०८२ का लागि सम्पति करको मूल्यांकनका लागि प्रस्तावित दर रेटहरु

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गतका वडाहरु र प्रत्येक वडामा सडक, विधुत, खानेपानि, टुलिफोन, टेलिभिजन आदि भौतिकसुबिधा र जग्गाको कारोबारको वास्तविक मूल्य र जिल्ला मालपोत कार्यालय डडेल्धुराले गरेको गत बर्षको मुल्यांकन समेतको आधारमा तपसिल वमोजिममा सम्पती कर प्रयोजनको लागि २०७६/०४/०१ गते देखि लागु हुने गरि जग्गाको न्यूनतम मुल्यांकन कायम गरियो ।

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक खलंगा गा.बि.स. वडा नं. ६ /ख, ६ /ग को पिच सडक संग जोडिएको बजार क्षेत्र अन्तरगत बसपार्क पिपल चौतारा देखि तुफानडाँडा चोकसम्म पिच सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी सो देखि ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु.५,५०,०००|- (पाँच लाख पचास हजार मात्र) र सो भन्दा २०० मिटर पछाडी सम्मका सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको प्रति आना रु. २,५०,०००|- (दुई लाख पचास हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक खलंगा गा.बि.स वडा नं. ६/ग को पिच सडक संग जोडिएको बजार क्षेत्र अन्तरगत तुफानडाँडा चोक देखि कारागार सम्मको कित्ताहरु सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी सो देखि ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु.३,५२,०००|- (तिन लाख बाउन्न हजार मात्र) र सो देखि पछाडी २०० मिटर पछाडी सम्म सम्पूर्ण जग्गाहरुको प्रति आना रु. १,४८,००० (एक लाख अठचालिस हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक खलंगा गा.बि.स वडा नं. ७ /क तुफानडाँडा चोक देखि नगरपालिका जाने बाटो सम्म को पिच सडक संग जोडिएको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी बजार क्षेत्र अन्तर्गतका कित्ताहरु सडक देखि ३५ मिटर सम्म प्रति अना रु. ३,५२,०००|- (तिन लाख बाउन्न हजार मात्र) र सो देखि पछाडी २०० मिटर सम्म प्रति आना रु. १,२१,०००|- (एक लाख एक्काईस हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक खलंगा गा.बि.स वडा नं. ७ /झ को पिच सडक संग जोडिएको खानेपानी अगाडिदेखि प्राबिधिक कार्यालय गेट सम्म पिच सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्म प्रति आना रु.३,६०,०००|- (तिन लाख साठी हजार मात्र) र सो देखि पछाडी २०० मिटर सम्म प्रति आना रु. १,३२,०००|- (एक लाख बत्तिस हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक खलंगा गा.बि.स वडा नं ८ /च को पिच सडक संग जोडिएको बजार क्षेत्र अन्तरगत कारागार शाखा देखि किर्तिपुर बजारको बस बिसौनी सम्म पिच सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु. २,८०,०००|- (दुई लाख असि हजार मात्र) र सो देखि पछाडी २०० मि सम्म सम्पूर्ण जग्गाहरुको प्रति आना रु. १,३२,०००|- (एक लाख बत्तीस हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक भूमिराज टाँटर गा.बि.स. वडा नं ५ /ठ को पिच सडक संग जोडिएको सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु.

२,८०,०००।- (दुई लाख असि हजार मात्र) र सो देखि पछाडी २०० मि सम्म सम्पूर्ण जग्गाहरुको प्रति आना रु. १,३२,०००।- (एक लाख बत्तीस हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक खलंगा गा.बि.स वडा नं. ५/ख को स्याउले बजार क्षेत्र पिच सडकको दाँया बाँया २५/२५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु २,४०,०००।- (दुई लाख चालिस हजार मात्र) र सो देखि पछाडी २०० मि सम्म सम्पूर्ण जग्गाहरुको प्रति आना रु ९५,०००।- (पन्चानब्बे हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक डोटी घटाल र गणेशपुर गा.बि.स वडा नं १ /च ढुनढुने पेट्रोल पम्प देखि दहब्यारेक सडक संग जोडिएको कित्ताहरू र सडकको दाँया बाँया २५/२५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको कित्ता जग्गा प्रति आना रु १,८१,०००।- (एक लाख एकासी हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक भूमिराज टांटर गा.बि.स वडा नं ३ डकले देखि भागेश्वर मा बि सम्म को पिच सडक संग जोडिएको उल्लेखित कित्ताहरु र यसमा छुट हुन गएका सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको कित्ता जग्गा प्रति आना रु १,८२,०००।- (एक लाख बयासी हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका साबिक भूमिराज टांटर गा.बि.स अन्तर्गत भागेश्वोर मा.बि देखि सल्लाघारी जोड्ने सडकसंग जोडिएका कित्ताहरु सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर सम्मको प्रति आना रु १,००,०००।- (एक लाख मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक भूमिराज टांटर गा.बि.स. वडा नं.३ /च को पिच सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु १,५४,०००।- (एक लाख चौवन्न हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक भूमिराज टांटर गा.बि.स वडा नं.२ /घ को पिच सडकको जग्गा दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु १,५४,०००।- (एक लाख चौपन्न हजार मात्र) र सहायक बाटोमा पर्ने कित्ताको प्रति आना रु ५०,०००।- (पचास हजार मात्र) र साबिक भूमिराज टांटर गाबिस वडा न २रख , वडा नं २ /ट, वडा न १ /ङ को पिच सडकको जग्गा दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु १,२०,०००।- (एक लाख बिस हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तरगत साबिक उग्रतारा गा.बि.स वडा नं ५ /क ,८ /ङ को पिच सडकको जग्गा दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु १,५४,०००।- (एक लाख चौपन्न हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तरगत साबिक उग्रतारा गा.बि.स वडा नं. १/छ ,१/घ , १/ज को पिच सडकको जग्गा दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी प्रति आना रु ४०,०००।- (चालिस हजार मात्र) र सो देखि पछाडि २०० मि सम्म सम्पूर्ण जग्गाहरुको प्रति आना रु १६,५००।- (सोह्र हजार पाँच सय मात्र )

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक उग्रतारा गा.बि.स वडा नं. ५ /ख को सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु ३८,५००।- (अठतीस हजार पाँच सय मात्र) र वडा न ५ /ङ को सडकको दाँया बाँया १५ /१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु २२,०००।- (बाइस हजार मात्र)

CamScanner

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक उग्रतारा गा.बि.स वडा नं ८/क,८/घ, ८/ङ को सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु १,२१,०००|- (एक लाख एक्काइस हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक उग्रतारा गा.बि.स वडा नं९ /क ,९ /ख, ७ /क, ७ /घ , ७ /३ को सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु ६६,०००|- (छैसट्ठी हजार मात्र)/

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक उग्रतारा गा.बि.स वडा नं ७/ज को सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु २५,०००|- (पच्चिस हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक खलंगा गा.बि.स वडा नं. ६/ख अन्तरगत तुफानडाँडा चोक देखि किल्ला खानेपानि टकि सम्म । विद्युत प्राधिकरण जाने र शिक्षा कार्यालय हुँदै जाने दुइवटै पिच सडकसँग जोडिएको सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्म प्रति आना रु ३,२५,०००|- (तिन लाख पच्चिस हजार मात्र) र प्रशासनको गेट सम्म पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाहरुको प्रति आना रु २,२१,०००|- (दुई लाख एक्काइस हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक खलंगा गा.बि.स वडा नं. ६/ ख अन्तर्गत नर्सिङभैरव मन्दिरदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म पिच सडकसँग जोडिएको सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्म प्रति आना रु २,४२,०००|- (दुई लाख बयालीस हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक खलंगा गा.बि.स वडा नं २ र १ ख अन्तर्गत प्रशासन कार्यालयको गेट देखि टुँडिखेल गेटसम्म सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना २,१५०००|- (दुई लाख पन्ध्र हजार मात्र)

टुँडिखेल गेटदेखि सिस्या थान सम्म सडकसँग जोडिएको प्रति आना रु १,७५०००|- (एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) र टुँडिखेल गेटदेखि ऐंसेलु झाडीसम्म सडकसँग जोडिएको प्रति आना रु ८०,०००|- (असी हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक खलंगा गा.बि.स वडा नं. ६ /ख अन्तर्गत अन्तर्गत महेश्वरी होटल ठाडो खुड्कीला र तुफानडाँडा साबिक महिला बिकास कार्यालय सम्म सडकको दाँया बाँया १५/१५ मिटर छोडी ३५ मिटर पछाडी सम्मको जग्गा प्रति आना रु १,७५०००|- (एक लाख पचहत्तर हजार मात्र)

बैतडी जाने सडकदेखि उत्तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण देखि दक्षिण सडकदेखि भित्रको जग्गा प्रति आना रु.१,७०,०००।( (एक लाख सत्तरी हजार मात्र)

बागबजार भीमदत्त चोकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटसम्म सडकको दायाँ बायाँ ३५ मिटरसम्म सडकसँग जोडिएको जग्गा प्रति आना रु १८१,०००|- (एक लाख एकासी हजार मात्र)

बागबजार भीमदत्त चोकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटसम्म पिच सडकदेखि दक्षिण शिस्याथान सामुदायिक वनक्षेत्रको सिमाना देखि उत्तर सडकदेखि भित्री भागको जग्गा प्रति आना रु १, १००००|- (एक लाख दश हजार मात्र) र बागबजार बगरकोट सडकको पहिलो मोड हुँदै टुँडिखेल सडक शिस्याथान सडक छोडी दायाँ बायाँ सम्म प्रति आना रु १,२१,०००|- (एक लाख एक्काइस हजार मात्र)

CS CamScanner

शिक्षा कार्यालय बाल मन्दीर हुँदै किल्लासम्म सडकसँग जोडिएको जग्गा प्रति आना रु १,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार मात्र)

तुफानडाँडा चोकदेखि डडेल्धुरा अस्पतालको गेटसम्म सडकसँग जोडिएको जग्गा प्रति आना रु २,३१,०००।- (दुई लाख एकतीस हजार मात्र), डडेल्धुरा अस्पतालको गेटदेखि तल्लो खलङ्गा ठूलधारा सम्म सडकसँग जोडिएको जग्गा प्रति आना रु १,०६,०००।- (एक लाख छ हजार मात्र) र ठूलधारा देखि ऐँसेलु झारी हुँदै टुँडिखेल आइतको सडकसम्म जोडिएको कित्ताहरु प्रति आना रु ७५,०००।- (पचहत्तर हजार मात्र) र यस बाहेक सडकको दायाँ बाँया ३५/ ३५ मिटर भन्दा पछाडी २०० मि. सम्म प्रति आना रु ५०,०००।- (पचास हजार मात्र)

बागबजार पिपल चौतारी बगरकोट सडकको पहिलो मोड सडकसम्म प्रति आना रु २,७५,०००।- (दुई लाख पचहत्तर हजार मात्र)

अमरगढी नगपालिका अन्तर्गत बगरकोट सडकको पहिलो मोडदेखि आइतबजार पिपल चौतारीको उत्तरपूर्व खोल्सीसम्म सडकसँग जोडिएको जग्गा प्रति आना रु ४२,०००।- (बयालीस हजार मात्र)

आइत बजार चौतारीको उत्तरपूर्व खोल्सी देखि घटाल बाबाको मन्दीर जाने बाटोको चोकसम्म प्रति आना ६०,०००।- (साठी हजार मात्र)

घटाल मन्दीर जाने बाटोको चोकदेखि घटाल मन्दीर पिच सडक सम्म सडकको दायाँ बायाँ सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रति आना रु ५०,०००।- ( पचास हजार मात्र) र घटाल मन्दीर देखी चिरकिट्टे सडक संग जोडीएको जग्गाको प्रति आना रु ३०,०००।-

अमरगढी नगरपालिका स्थित वाटिका नाउलादेखि घटाल सोलपरी बीरखम्ब सम्म जाने बाटोको दायाँ बायाँ बाटोसँग जोडिएको जग्गा प्रति आना रु ५४,०००।- (चौपन्न हजार मात्र) र घटाल सोलपरी बीरखम्ब स्कुलदेखि घटाल थानसम्म सडकमा जोडिएको जग्गा प्रति आना रु ४७,०००।- (सत्चालीस हजार मात्र)

जिल्ला कारागार शाखा जोगिनीस्थान देखी अजयमेरु कोट जाने सेलागाउं बाटोको दांया बांया वाटो संग जोडिएको जग्गा प्रति आना रु ६८,०००।-(अटसट्टी हजार मात्र ) र अजयमेरुकोट जाने वाटो झुर्काली सम्म जोडिएको जग्गा प्रति आना रु४२,०००।-(बयालिस हजार मात्र)।

अमरगढी नगरपालिका अन्तरगत किर्तिपुर बस बिसौनी देखी भन्केपानी सम्म सडकको दांया बांया सडक संग जोडिएको जम्मा प्रति आना रु ८०,०००।-(असी हजार मात्र) भन्केपानी देखी मेली डांडा सम्म सडकको दायां बायां सडक संग जोडिएको जग्गा प्रति आना रु ४५,०००।- (पैतालिस हजार मात्र) र बागचौर देखी बकण्डे, खुल्लेक गाउं सम्म सडकको दायां बायां सडक संग जोडिएको जग्गा प्रति आना रु ४२,०००।-(बयालिस हजार मात्र )।

अमरगढी नगरपालिका स्थित खोटो अफिस देखी धमलेक, डोर जाने सडक र मौरडा चालिस मोड सडक संग जोडिएको जग्गा प्रति आना रु४२,०००।-( बयालिस हजार मात्र) ।

साविक डोटी घटाल गा.वि.स. चालिसको मोड देखी बैजनाथ मा.वि. हुंदै मौरडा गाउं सम्म जाने ग्रामिण सडक संग जोडिएको जग्गा प्रति आना रु४२,०००।-(बयालिस हजार मात्र) ।

CamScanner

साविक भुमिराज गा.वि.स. स्थित डकले देखी टोटे सिलंगा रातागौन बैतडी सडकको दायाँ बायां प्रति आना रु १,३०,०००।-(एक लाख तिस हजार मात्र) र टोटे सिलंगा देखी खनमडा जाने वाटो संग जोडिएका कित्ताहरु प्रति आना रु ४०,०००।-(चालिस हजार मात्र) ।

साविक डोटी घटाल अमरगढी न.पा. १ तडीवाटा २५र२५ मिटर छोडी सो देखी ३५ मि. पछाडी सम्म प्रति आना रु ५०,०००।- (पचास हजार मात्र)।

अमरगढी नगरपालिका अन्तरगत स्याउले वजार देखि रडुवा खोला सम्म सडकको दायां वायां २५ मि. छोडी सो देखी ३५ मि.सम्म जग्गा प्रति आना ३६,०००।- (छतिस हजार मात्र) ।

स्याउले वजार देखी बाग वजार पिपल चौतारी सम्म पिंच सडकवाट २५र२५ मि. छोडी २०० मि. पछाडी सम्म प्रति आना रु ८५,०००।-(पचासी हजार मात्र) ।स्याउले सडक देखी मालम गाउं सम्म सडक संग जोडिएको जग्गाको दायां वायां प्रति आना रु ३६,०००|- (छतिस हजार मात्र)।

अमरगढी नगरपालिका वडा नं. १ दह व्यारेक देखी असिग्राम गा.वि.स. भेटा सम्म दहव्यारेक सडक संग जोडिएको जग्गा प्रति आना रु २४,०००।-(चौविस हजार मात्र )

अमरगढी नगरपालिकाको कार्यालय देखी धमतला सम्म सडक संग जोडिएको जग्गाको दायां वायां प्रति आना रु १,१५,०००।-(एक लाख पन्ध्र हजार मात्र)।

रानीधारा देखी अमरगढी किल्ला र साविकको जिल्ला अस्पताल सम्म सडकको दायां वायां जग्गा प्रति आना रु २,४२,०००।- (दुई लाख बयालिस हजार मात्र) अमरगढी नगरपालिका अन्तरगत रातागुन ०रतनपुर९देखी खनमडा सडक सम्म जोडिएको जग्गा प्रति आना रु ३६,०००।-(छतिस हजार मात्र)।

अमरगढी नगरपालिका अन्तरगत रातागुन सवसेन्टर देखी पोखरा वजार सम्म साविक उग्रतारा पोखरा गा.वि.स. का वडा नं. ७/घ सडकको दायां वायां १५/१५ मि. छोडी ३५ मि. पछाडी सम्मको प्रति आना रु २,२०,०००।-(दुई लाख बिस हजार मात्र)

हजार मात्र) र खनमडा देखी सल्लेश्वर गाड सम्म जोडिएको सडकमा पर्ने कित्ताहरु प्रति आना रु २०,०००।-(बिस हजार मात्र)

अमरगढी नगरपालिका अन्तरगत पोखरा तिलाडी सडक सम्म जोडिएको जग्गा प्रति आना रु३६,०००।-(छतिस हजार मात्र)।

अमरगढी नगरपालिका अन्तरगत पोखरा भाटगाउं सडक संग जोडिएको जग्गा प्रति आना रु१२,०००।-(बाह हजार मात्र )।

अमरगढी नगरपालिका अन्तरगत आईत सुनेडा,भलीया ,हरडी , दोगाड, कोटकाँडे सडक संग जोडिएको जग्गा प्रति आना रु १२,०००।-(बाह हजार मात्र )।

रातागुन देखी भजनपुर सम्मको सडक संग जाडीएको दायाँ बाँया प्रति आना रु २०,००० (बिस हजार मात्र) र भजनपुर देखी छचोडा ,भजनपुर देखी दुमडा सम्मको सडक संग जाडीएको दायाँ बाँया प्रति आना रु १२,०००।-(बाह हजार मात्र )।

अमरगढी नगरपालिका अन्तरगत भालुमारे देखी अनारखोली वजार सम्मको साविक उग्रतारा पोखरा गा.वि.स. का वडा नं. ७/घ सडकको दायां वायां १५/१५ मि. छोडी ३५ मि. पछाडी सम्मको प्रति आना रु १,६५,०००।(एक लाख पैसट्टी हजार मात्र)

CS CamScanner

| प्रस्तावित मूल्य प्रति | ८००।- | ८००।- | ६००।- | ६००।- | ५५०।- | ५५०।- | ५००।- | ५००।- | ४५०।- | ४५०।- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रति वर्ष टुटफुट | ०.७५ | ०.७५ | १.०० | १.०० | २.०० | २.०० | ३.०० | ३.०० | ४.०० | ४.०० |
| कट्टी गर्ने जम्मा वर्ष | १०० | १०० | ७० | ७० | ३० | ३० | २५ | २५ | २० | २० |
| घरको मूल्याङ्कन गर्दा | प्रति तला ३० प्रतिशत कम | प्रति तला ३० प्रतिशत कम | प्रति तला २० प्रतिशत कम | प्रति तला २० प्रतिशत कम | प्रति तला १५ प्रतिशत कम | प्रति तला १५ प्रतिशत कम | प्रति तला १५ प्रतिशत कम | प्रति तला १५ प्रतिशत कम | प्रति तला १५ प्रतिशत कम | प्रति तल १५ प्रतिश कम |

## अनुसूची-१
## सम्पत्ति करको दर

| | मुल्यांकन कर योग्य सम्पत्तिको मूल्य रु. | बार्षिक दर रु. |
|---|---|---|
| | १ देखी २ लाख ५० हजार रुपैया सम्म | एकमुष्ठ रु.२५। |
| | २ लाख ५० हजार १देखी ५ लाख सम्म | एकमुष्ठ रु.५०। |
| | ५ लाख एक देखी १० लाख सम्म | एकमुष्ठ रु.२००। |
| | १० लाख १ देखी १५ लाख सम्म | एकमुष्ठ रु.३००। |
| | १५ लाख १ देखी २० लाख सम्म | एकमुष्ठ रु.४००। |
| | २० लाख १ देखी २५ लाख सम्म | एकमुष्ठ रु.६७०। |
| | २५ लाख १ देखी ३० लाख सम्म | एकमुष्ठ रु.१०००। |
| | ३० लाख १ देखी ३५ लाख सम्म | एकमुष्ठ रु.१२००। |
| | ३५ लाख १ देखी ४० लाख सम्म | एकमुष्ठ रु.१८००। |
| | ४० लाख १ देखी ४५ लाख सम्म | एकमुष्ठ रु.२४००। |
| | ४५ लाख १ देखी ५० लाख सम्म | एकमुष्ठ रु.३०००। |
| | ५० लाख १ देखी ५५ लाख सम्म | एकमुष्ठ रु.३३००। |
| | ५५ लाख १ देखी ६० लाख सम्म | एकमुष्ठ रु.३५००। |
| | ६० लाख १ देखी ६५ लाख सम्म | एकमुष्ठ रु.४५००। |
| | ६५ लाख १ देखी ७० लाख सम्म | एक मुष्ठ रु.५२००। |
| | ७० लाख १ देखी ७५ लाख सम्म | एक मुष्ठ रु.६१००। |
| | ७५ लाख १ देखी ८० लाख सम्म | एक मुष्ठ रु.६८००। |
| | ८० लाख १ देखी ८५ लाख सम्म | एक मुष्ठ रु.७७००। |
| | ८५ लाख १ देखी ९० लाख सम्म | एक मुष्ठ रु.८४००। |
| | ९० लाख १ देखी ९५ लाख सम्म | एक मुष्ठ रु.९२००। |

CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | ९५ लाख १ देखी १ करोड सम्म | एक मुष्ठ रु.१०,०००। |
| | १ करोड १ देखी १ करोड ५० लाख सम्म | एक मुष्ठ रु.१५,०००। |
| | १ करोड ५० लाख १ देखी २ करोड सम्म | एक मुष्ठ रु.२०,०००। |
| | २ करोड १ देखी २ करोड ५० लाख सम्म | एक मुष्ठ रु.२५०००। |
| | २ करोड ५० लाख १ देखी ३ करोड सम्म | एक मुष्ठ रु.३२०००। |
| | ३ करोड १ देखी ३ करोड ५० लाख सम्म | एक मुष्ठ रु.३९०००। |
| | ३ करोड ५० लाख १ देखी ४ करोड सम्म | एक मुष्ठ रु.४६०००। |
| | ४ करोड १ देखी ४ करोड ५० लाख सम्म | एक मुष्ठ रु.५३०००। |
| | ४ करोड ५० लाख १ देखी ५ करोड सम्म | एक मुष्ठ रु.६००००। |
| | ५ करोड १ देखी ५ करोड ५० लाख सम्म | प्रति हजार रु.दई थप |

उल्लेखित दररेटमा २०७९ असार मसान्तसम्म रु.३०,००,०००। आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा २७,६४,१०७मात्र संकलन भएको छ । त्यस्तै आर्थिक ऐन, २०७८ मा करको सम्पत्ति करको दरमा कुनै परिवर्तन नगरी आर्थिक ऐन, २०७९ जारी भएको र सो ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम २०७९ मंसिर महिनासम्म संकलन हुँदा १८४०३४५। सम्पत्ति कर संकलन भएको छ । सो को आधारमा यस आर्थिक बर्षमा करिव ३००००००। सम्पत्ति कर प्राप्त हुने देखिन्छ । प्रयाप्त प्रचार प्रसारको कमि र नगरपालिका केन्द्र आएर कर बुझाउनु पर्ने झन्झटका कारण सवै कर दाता केन्द्र सम्म नआएका कारण समेत कर प्रयाप्त उठ्न नसकेकोमा गत आर्थिक बर्षबाट थप वटा वडा कार्यालयबाट समेत राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक बर्षमा सबै वडा कार्यालयमा कर तिर्न सक्ने वातावरण तयार पारिएको र वडा केन्द्र बाट कर तिर्न सक्ने वातावरण भएमा नागरिक करको दायरामा आउने हुँदा सम्पत्ति करमा १०% ले बृद्धि हुन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । सो आधारमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा रु.३९०००००। सम्पत्ति कर संकलन हुने आँकलन रहेको छ ।

CamScanner

अनुसुची २

भूमिकर(मालपोत) करका दर

| सि.न. | राजस्वको क्षेत्रहरु | चालु आ.व.२०८०।८१को दर | आ.व.२०८१।८२ का लागि स्वीकृत दर | पुस्ट्याई | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ए.स.कर लागु हुनु भन्दा अगाडीको मालपोत असुली गर्दा प्रति रोपनी | रु.१ | रु.१ | यथावत | |
| २ | लगतमा बाधिएको जग्गाको हकमा सोही अनुसार र न्युनतम मालपोत रु. ५ भन्दा कम लगाईने छैन | लगतमा बाधिएको जग्गाको हकमा सोही अनुसार र न्युनतम मालपोत रु. ५ भन्दा कम लगाईने छैन | लगतमा बाधिएको जग्गाको हकमा सोही अनुसार र न्युनतम मालपोत रु. ५ भन्दा कम लगाईने छैन | " | |
| ३ | ए.स.कर लागु हनु भन्दा अगाडीको मालपोत बक्यौता असुली गर्दा जरिवाना<br>पहिलो वर्ष | ३० प्रतिशत | ३० प्रतिशत | " | |
| ४ | दोस्रो वर्षको | ४५ प्रतिशत | ४५ प्रतिशत | " | |
| | तेस्रो बर्षको | ६० प्रतिशत | ६० प्रतिशत | " | |
| ५ | ४ वर्षको | ७५ प्रतिशत | ७५ प्रतिशत | " | |
| | ५ वर्ष सोभन्दा माथिको जरीवाना लाग्ने । | वढीमा ९० प्रतिशत जरीवाना लाग्ने | वढीमा ९० प्रतिशत जरीवाना लाग्ने | | |
| ६ | सम्पत्तीकर भूमि कर बक्यौतामा जरिवाना १ वर्षको | २० प्रतिशत | २० प्रतिशत | " | |
| | सम्पत्तीकर भूमि कर बक्यौतामा जरिवाना १ वर्ष भन्दा माथिको | ३० प्रतिशत | ३० प्रतिशत | " | |

अनुसूची ३

**घर जग्गा बहाल कर**

अमरगढी नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ मा घरजग्गा बहाल कर अन्तर्गत तथा नयाँ आर्थिक ऐनको लागि निम्न अनुसार देट रहेको तथा प्रस्ताव गरिएको छ ।

| सि.नं. | राजस्वको क्षेत्रहरु | | चालु आ.व.२०८०।८१को दर | आ.व.२०८१।८२ का लागि स्वीकृत दर | पुस्ट्याई | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | घर बहाल कर<br>यस न.पा.क्षेत्र भित्र आफ्नो घर पसल ग्यारेज वा गोदाम,टहरा कल कारखाना जग्गा वा आंशिक रुपमा बहालमा दिएकोमा सम्वन्धित धनीवाट वहाल रकमको १० प्रतिशत सम्म वहाल कर लिने । घर वहाल कर लाई प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत रुपमा निर्धारण गरीएको भाडादर तपशिल अनुसार हुनेछ । | | १० प्रतिशत | १० प्रतिशत | यथावत | |
| | बसपार्क देखी भिमदत्त चोक | तल्लो तला | ५०००।- | ५०००।- | " | |
| | | मल्लो तला | ३०००।- | ३०००।- | " | |
| | भिमदत्त चोक देखी जोशी पुस्तक सम्म | तल्लो तला | ३०००।- | ३०००।- | " | |
| | | मल्लो तला | २०००।- | २०००।- | " | |
| | भिमदत्त चोक देखी रानिधारा सम्म | तल्लो तला | ४०००।- | ४०००।- | " | |
| | | मल्लो तला | २५००।- | २५००।- | " | |
| | बसपार्क पिपल चौतारो देखी बगरकोट रोड | तल्लो तला | ३०००।- | ३०००।- | " | |
| | | मल्लो तला | २०००।- | २०००।- | " | |
| | रानीधारा देखी नगरपालीका गेट सम्म | तल्लो तला | ३०००।- | ३०००।- | " | |
| | | मल्लो तला | २०००।- | २०००।- | " | |
| | नगरपालीका गेट देखी कृतिपुर सिसोर्ट सम्म | तल्लो तला | १०००।- | १०००।- | " | |
| | | मल्लो तला | ५००।- | ५००।- | " | |
| | तुफानडाँडा चर्च देखी शिक्षा रोड र विद्युत रोड समेत जिल्ला प्रशासन सम्म | तल्लो तला | १५००।- | १५००।- | " | |
| | | मल्लो तला | १०००।- | १०००।- | " | |
| | जिल्ला प्रशासन देखी टुडीखेल सम्म | तल्लो तला | १०००।- | १०००।- | " | |
| | | मल्लो तला | ५००।- | ५००।- | " | |
| | पोखरा बजार | | १०००।- | १०००।- | " | |
| | स्याउले | | १०००।- | १०००।- | " | |
| | तडीवाटा | | १०००।- | १०००।- | " | |
| | आईतबजार,सल्लाघारी,राई,भज्यौटा | | ५००।- | ५००।- | " | |

उल्लेखित दररेट कायम भएको र २०८० असार मसान्तसम्म रु. ३५०००००।०० आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा विगतका बर्षको बक्यौता समेत बहालकर उठेकाले रु. ३६३७९८४।२३ घरजग्गा बहाल कर संकलन भएको छ । त्यस्तै आर्थिक ऐन, २०७९ मा घरजग्गा बहाल करको दरमा कुनै परिवर्तन नगरी आर्थिक ऐन, २०८० जारी भएको र सो ऐनमा

भएको व्यवस्था बमोजिम २०८० मंसिर महिना सम्म संकलन हुँदा ८२३४२०। घरजग्गा बहाल कर,१६८००। सरकारी सम्पत्ती बहालबाट आय संकलन भएको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षमा भ्याक्होलोडर,टिप्पर,ट्र्याक्टर भाडामा लगाउन सकेमा बहाल कर करिब १० % ले बृद्धि हुन सक्ने ऑकलन गर्न सकिन्छ । सो आधारमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा रु.४४०९०००। घरजग्गा बहाल कर संकलन हुने ऑकलन रहेको छ ।

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

अमरगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय डडेल्धुरा सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

## अनुसूची ४

**व्यवसाय कर**

यस नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० मा व्याबसाय कर अन्तर्गत तथा नयाँ आर्थिक ऐनको लागि निम्न अनुसार देट रहेको तथा प्रस्ताव गरिएको छ ।

| सि.नं. | राजस्वको क्षेत्रहरु | चालु आ.व.२०८०।८१को दर | आ.व.२०८१।८२ का लागि स्वीकृत दर | पुस्त्याई | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | क्यासेट रिकर्डर तथा प्लेयर,भिडियो ,क्यासेट भाडामा दिने (डि.जे.) , टेन्ट आदी भाडामा दिने । | ११००।- | ११००।- | यथावत |  |
| २ | नेट ईन्टरनेट संचालक कम्पनी | १०,००० | १०,००० | " |  |
| ३ | डिस एन्टीना राखी केबुल लाईन प्रसारण व्यवसायीलाई | ३३००।- | ३३००।- | " |  |
| ४ | निर्माण सामग्री तथा हार्डवेयर (१० लाख भन्दा माथि कारोबार भएको) | ३३००।- | ३३००।- | " |  |
| ५ | निर्माण सामग्री तथा हार्डवेयर (१० लाख भन्दा मुनि कारोबार भएको) | १६५०।- | १६५०।- | " |  |
| ६ | फेन्सी तथा रेडीमेट पसल , किराना पसल , जुत्ता चप्पल पसल ,कस्मेटीक पसल , बिजुली तथा सोलार सम्बन्धी पसल , छपाई सेवा उद्योग , अपसेट प्रेस , स्टेसनरी पसल ,भाँडावर्तन पसल, सुनचाँदी पसल , मोबाईल तथा ईलेक्ट्रोनिक पसल ,मोटरसाईकल मर्मत सेवा , काष्ट उद्योग , ग्रिल उद्योग , फर्निचर उद्योग एवं अन्य कारोबार गर्ने जुनसुकै होलसेल व्यवसाय गर्ने व्यवसायी | २७५०।- | २७५०।- | " |  |
|  | फेन्सी तथा रेडीमेट पसल , किराना पसल , जुत्ता चप्पल पसल ,कस्मेटीक पसल , बिजुली तथा सोलार सम्बन्धी पसल , छपाई सेवा उद्योग , अपसेट प्रेस , स्टेसनरी पसल ,भाँडावर्तन पसल, सुनचाँदी पसल , मोबाईल तथा ईलेक्ट्रोनिक पसल ,ग्यास सिलिन्डर बिक्रेता , कुटाई, पिसाई, पेलाई मिल ,( सामान्य खाजा , खाना , नास्ता पसल ), पिकनिक स्पोर्ट ,बिदेशी मुद्रा सटही एवं अन्य कारोबार गर्ने जुनसुकै खुद्रा व्यवसाय गर्ने व्यवसायी | १५००।- | १५००।- | " |  |
| ८ | किराना पसल , कस्मेटीक पसल ,फोटोग्राफी भिडियोग्राफी ब्यबसायी मोबाईल तथा ईलेक्ट्रोनिक पसल मर्मत ,चस्मा पसल, मर्मत सेन्टरहरु,सिलाई कटाई तालीम सेन्टर , कुरीयर सेवा , माछा मासु | ८००।- | ८००।- | " |  |

CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बिक्रेता , साना उद्योगहरु ( पाउरोटी , मसला एवं ) , (कुखुरा पालन , बाखा पालन एवं सम्पुर्ण कृषि पशु संग सम्बन्धीत ब्यावसायीक फर्महरु ) एवं अन्य कारोबार गर्ने जुनसुकै सानो खुद्रा ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायी | | | | | |
| | नेपाल आयल निगमको डिलर | | ४५००।- | ४५००।- | " | |
| ० | उन , स्वदेशी घरेलु कपडा उद्योग | | ७००।- | ७००।- | " | |
| १ | केश श्रृंगार हजाम (नाई), ब्युटी पार्लर, टेलरिङ सेन्टर , गाडीको टायर मर्मत , चाउमिन उद्योग , बैदेशिक रोजगार सेवा, लुगा धुने (ड्राईक्लीनिक्स) | | १३० | १३० | " | |
| २ | गैरसरकारी अस्पताल , नर्सींडहोम , पोलीक्लीनिक , रियल स्टेट , खोटो संकलन केन्द्र, मसाज पार्लर , रिसोर्ट , दोहरी साँझहरु , बार रेस्टुरेन्टहरु दर्ता तथा नविकरण | | ५००० | ५००० | " | |
| ३ | औषधी पसल/ एग्रोभेट होलसेल | | २७५० | २७५० | " | |
| ४ | औषधी पसल/एग्रोभेट सानो शहरी क्षेत्रको | | २००० | २००० | " | |
| | औषधी पसल/एग्रोभेट सानो ग्रामिण क्षेत्रका | | ५०० | ५०० | " | |
| | शिक्षा सेवा अर्न्तगत निजि क्षेत्रबाट संचालीत | क्याम्पस स्तर | ५००० | ५००० | " | |
| | | मा.बि.स्तर /प्राबिधिक शिक्षालय | ४००० | ४००० | " | |
| | | आधारभूत तह(कक्षा १-८) स्तर | ३००० | ३००० | " | |
| | | आधारभूत तह(कक्षा १-५) स्तर | २००० | २००० | " | |
| | | भाषा ,कम्प्युटर,ट्युसन सेन्टर,ट्रेनिङ सेन्टर,इन्स्टीच्युट | ३००० | ३००० | | |
| | संचार क्षेत्र | छापा माध्यम | ५०० | ५०० | " | |
| | | बिद्युतीय माध्यम | १००० | १००० | " | |
| | होटल क्षेत्र | १० कोठा भन्दा बढी क्षमता भएको | ५००० | ५००० | " | |
| | | १० कोठा भन्दा कम क्षमता भएको | ३००० | ३००० | " | |
| | मदिरा जन्य ब्यसाय | मदीरा अधिकृत बिक्रेता | १०,००० | १०,००० | " | |
| | | खुद्रा बिक्रेता | ७००० | ७००० | " | |
| | | खुल्ला बिर्को खोली बेच्ने व्यवसाय कर | ४५०० | ४५०० | " | |
| | | | | | | |
| ० | परामर्स सेवा फर्म | चिकित्सा परामर्स सेवा , कानुनी परामर्स सेवा | १००० | १००० | " | |
| | | ईन्जीनेरीङ परामर्स सेवा टुर अपरेटर सेवा | २५०० | २५०० | " | |
| | | बिशेशज्ञ परामर्स सेवा | २००० | २००० | " | |
| २१ | लेखा परिक्षक सेवा | (क) बर्ग | १५०० | १५०० | " | |
| | | (ख) बर्ग | १२०० | १२०० | " | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (ग) बर्ग | १००० | १००० | " | |
| | | (घ) बर्ग | ८०० | ८०० | " | |
| २ | बित्तिय सेवा नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको बाहेक आर्थिक कारोबार गर्ने | (क),(ख) | ३०,००० | ३०,००० | " | |
| | | (ग),(घ) | २५,००० | २५,००० | " | |
| | | लघुबित्त, बिमा कम्पनी , बित्तिय कम्पनी मुख्य कार्यालय | २०००० | २०००० | " | |
| | | धितोमात्र कारोबार गर्ने बित्तिय संस्था | १०००० | १०००० | " | |
| | | नेपाल राष्ट्र बैंक बाट स्विकृति लिई संचालन भएका सहकारी बैंक | १०००० | १०००० | " | |
| | | बित्तिय कम्पनी शाखा कार्यालय | ५००० | ५००० | " | |
| ३ | व्यवसाय कर जरीवाना | पहीलो बर्ष | ५ प्रतिशत | ५ प्रतिशत | " | |
| | | दोस्रो बर्ष | १० प्रतिशत | १० प्रतिशत | " | |
| | | तेस्रो बर्ष र सो भन्दा माथि | २० प्रतिशत | २० प्रतिशत | " | |

अमरगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय डडेल्धुरा सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

ल्लेखित दररेटमा २०८० असार मसान्तसम्म रु.२४९८,००।०० व्यावसाय कर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा विभिन्न ारणहरुले गर्दा व्यबासाय कर रु. १६,८५,२७५।०० मात्र संकलन भएको छ । त्यस्तै आर्थिक ऐन, २०८० मा व्यवसाय रको दरमा कुनै परिवर्तन नगरी आर्थिक ऐन, २०८० जारी भएको र सो ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम २०८० मंसिर हिना सम्म व्यवसाय कर बक्यौता रकम समेत संकलन हुँदा रु २५५४०९१।५० व्यावसाय कर संकलन भएको छ । सो े आधारमा यस आर्थिक बर्षमा करिव रु २७७५०००। व्यावसाय कर प्राप्त हुने देखिन्छ ।

ागामी आर्थिक बर्षमा व्यापार व्यावसाय बढि हुन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । व्यापार व्यावसायमा हुन सक्ने बृद्धिका ारण व्यावसाय कर बढ्न सक्ने हुँदा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक ऐनमा व्यावसाय करको दरमा ामान्य बृद्धि गर्दा पनि रु.२७७५०००।- व्यावसाय कर संकलन हुने आँकलन रहेको छ ।

अमरगढी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय डडेलधुरा सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

अनुसूची ५

**जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर**

मरगढी नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ मा जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर अन्तर्गत तथा नयाँ आर्थिक ऐनको गि निम्न अनुसार दररेट रहेको तथा प्रस्ताव गरिएको छ ।

| सि.नं. | राजस्वको क्षेत्रहरु | | चालुआ.व.२०८०।८१को दर | आ.व.२०८१।८२ का लागि स्वीकृत दर | पुस्ट्याई | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | अमरगढी नगरपालिकाले आफनो क्षेत्रमा उत्पादन भई निकासा गर्दा वा ठेक्का दिंदा ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा,ग्राभिल ,रोडामा लगाउन सक्ने करको दर निम्न बमोजिम छ तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुन बमोजिम हुनेछ । प्रति घ.मि. रु. | | प्रति घन मि१००।- | प्रति घन मि१००।- | ,, | |
| २ | (स्वदेशमा स्थापना भएका उद्योगहरुले जे जस्तो अवस्थामा छ सोही रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बस्तु खाली सीसी बियरबोतल,प्लाष्टिकबोतल,भाडाकुडा,जुत्ताचप्पल,ग्यालन,जर्किन आदी कवाडी संकलन कर्ता व्यवसाय कर नविकरण | | रु.२०००। | रु.२०००। | ,, | |
| | प्रचलित बननियममा वलीमा लेखिएका कर लिन पाउने | जडीबुटी प्रति कि.ग्रा.निकासी कर | रु.१।- | रु.१।- | ,, | |
| | | खोटो प्रति कि.ग्रा. | रु.२।५० | रु.२।५० | | |
| | | सल्ला काठ प्रति क्यु.फि. | रु.२०।- | रु.२०।- | ,, | |
| | | अन्य काठ | रु.२०।- | रु.२०।- | ,, | |
| [illegible] | प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकका पन्छीहरु जस्तै:- जस्तै हाँस,कुखुरा जस्ता पन्छी हरुको प्वाखमा प्रति के.जी. | | रु.२।- | रु.२।- | ,, | |
| [illegible] | प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकका मरेका वा मारिएका पशुका: | हाड प्रति कि.ग्रा. | रु.२।- | रु.२।- | ,, | |
| | | सिङप्रति कि.ग्रा. | रु.२ | रु.२ | ,, | |
| | | खुर प्रति कि.ग्रा. | रु.२ | रु.२ | ,, | |
| | | छाला ठूलो प्रति गोटा | रु.२० | रु.२० | ,, | |
| | | छाला (सानो) ,, | रु.१० | रु.१० | ,, | |
| ६ | फलाम तथा धातु जन्य कवाडी निकासी प्रति के.जी. | | रु.१।२५ | रु.१।२५ | ,, | |
| ७ | जलेको मोविल | प्रति लिटर | २ | | ,, | |
| ८ | जुट र प्लाष्टिकको वोरा | प्रति के.जि. | २ | | ,, | |
| ९ | कार्पेटका टुक्रा | प्रति के.जि. | २ | | ,, | |
| १० | टायर र ट्युव | प्रति के.जि. | ३ | | ,, | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ११ | थोत्रो टिन | प्रति के.जि. | ३ | | " | |
| १२ | पुरानो ड्रम | प्रति के.जि. | २ | | " | |
| १३ | अन्य कागजका कार्टुन तथा गत्ता | प्रति के.जि. | ३ | | " | |
| १४ | काम नलाग्ने मेशिनरी औजार | प्रति के.जि. | ४ | | " | |
| १५ | अन्य धातु पित्तल,तामा,सिल्भर,आल्मोनियम आदि | प्रति के.जि. | १० | | " | |
| १६ | पोलाथिन पाईपका टुक्रा | प्रति के.जि. | २ | | " | |
| १७ | काँचका धुलो र टुक्रा | प्रति के.जि. | २ | | " | |
| १८ | खाली सिसि बियर | प्रति के.जि. | १.५ | | " | |
| १९ | खाली सिसि मदिरा | प्रति के.जि. | १ | | " | |
| २० | पुरानो ब्याट्री | प्रति के.जि. | १० | | " | |
| २१ | काठको ठेकी | प्रति के.जि. | ५ | | " | |
| २२ | कापी किताब(रद्धी) | प्रति के.जि. | ४ | | " | |

०८० मंसिर मसान्त सम्म उल्लेखित शिर्षकमा रकम संकलन भएको छैन । तसर्थ आगामी बर्षको लागि ठेक्का लगाउन केमा संकलन हुन सक्ने रकम रु ११,००,०००। आँकलन गरिएको छ ।

## अनुसुची ६

### सवारी साधन कर

| सि.नं | राजस्वको क्षेत्रहरु बार्षिक व्यवसाय कर | चालु आ.व.२०८०।८१ को दर | आ.व.२०८१।८२ का लागि स्वीकृत दर | पुस्ट्याई | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | रिक्सा | १००। | १००। | यथावत | |
| २ | अटो रिक्सा ,टेम्पो | ५००। | १०००। | " | |
| ३ | ठेलागाडा | १००। | १००। | " | |

## अनुसुची ७
## बिज्ञापन कर

अमरगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० मा विज्ञापन कर अन्तर्गत तथा नयाँ आर्थिक ऐनको लागि निम्न अनुसार दररेट रहेको तथा प्रस्ताव गरिएको छ ।

| सि.नं. | राजस्वको क्षेत्रहरु | चालु आ.व.२०७९।८० को दर | आ.व.२०८०।८१ का लागि स्वीकृत दर | पुस्ट्याई | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | नगरपालिकाको हक भोगको घर जग्गा वा सार्वजनि स्थानमा बिज्ञापन वा साईनवोर्ड राख्नेलाई प्रति बर्ग फीट | रु.५०। | रु.५०।- | | |
| २ | मदिरा जन्य वस्तुको बिज्ञापन प्रति वर्ग फिट | रु.१००।- | रु.१००।- | | |
| ३ | अन्य वस्तुको बिज्ञापनमा प्रति वर्ग फिट | रु.५०।- | रु.५०।- | | |
| ४ | सार्वजनिक स्थानमा व्यानर टाँगेम प्रति मिटर ७ दिन सम्म रु.७-सो पछि प्रति दिन थप रु.५- | ७ दिन सम्म रु.७-सो पछि प्रति दिन थप रु.५- | ७ दिन सम्म रु.७-सो पछि प्रति दिन थप रु.५- | | |
| ५ | १ मीटर र १ वर्ग फिट सम्मको विज्ञापन १ महिना सम्मको प्रति दिन रु.१-र सो भन्दा राख्नु परेमा प्रति दिन रु.२-थप | | | | |
| ६ | आफ्नो व्यवसाय परिचयको लागि १५ स्क्वायर फिट सम्म १ थान वोर्ड व्यवसायीले आफ्नो पसल वा व्यवसाय रहेको भित्ता पर्खाल वा अगाडीको भागमा राख्न पाउने छन् र १ भन्दा धेरै वोर्ड राख्नु परेमा माथिको दर रेटमा सम्बन्धित व्यवसायलि विज्ञापन कर फावत बुझाउनु पर्नेछ । | | | | |

ज्ञापन करको लागि नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ सम्मका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको वार्षिक रु ,०००। का दरले विज्ञापन बापतको कर सम्झौता भएकाले सोही अनुसार संकलन हुने देखिन्छ ।

## अनुसुची ८
## मनोरन्जन कर

| सि.नं. | राजस्वको क्षेत्रहरु | चालुआ.व.२०८०।८१ को दर | आ.व.२०८०।८२ का लागि स्वीकृत दर | पुस्ट्याई | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मनोरञ्जन कर<br>यस न.पा. क्षेत्र भित्र संचालन भएका सिनेमाहल,सौस्कृतिक कार्यक्रम,थेटर,संगीत तथा मनोरञ्जनको प्रवेश शुल्कहरुमा ४ प्रतिशत मनोरञ्जन कर लिने | ४ प्रतिशत | ४ प्रतिशत | यथावत | |
| २ | जादु ,सर्कस, चटक आदिमा प्रति दिन | २००।- | २००।- | | |

## अनुसुची ९
## बहाल बिटौरी शुल्क

| क्र. नं | राजस्वको क्षेत्रहरु | चालु आ.व.२०८०।८१को दर | आ.व.२०८१।८२ का लागि स्वीकृत दर | पुस्ट्याई | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| | नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा आफूले निर्माण,रेखदेख वा संचालन गरेको हाट बजार र सार्वजनिक स्थल ,ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउमा पसल थाप्न दिए वापत प्रति वर्ग फुट मासिक बहाल बिटौरी वहाल विटौरी कर | रु.३ /- | रु.३/- | यथावत | |

## अनुसुची १०
## पार्किङ शुल्क

| क्र. नं | राजस्वको क्षेत्रहरु | चालु आ.व.२०८०।८१को दर | आ.व.२०८१।८२ का लागि स्वीकृत दर | पुस्ट्याई | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| | पार्किङ शुल्क<br>ठुलो बस ट्रक आदि<br>१ घण्टा देखि ५ घण्टा सम्म ४०।-<br>५ ,, ,, १२ ,, ,, ६०।-<br>सो भन्दा माथि रु. ८०।-<br>ट्याक्सी तथा साना सवारी साधन<br>१ घण्टा देखि ५ घण्टा सम्म २०।-<br>५ ,, ,, १२ ,, ,, ३०।-<br>सो भन्दा माथि रु. ४०।-<br>(२४ घण्टा पछाडी थप बसेमा साविककै दररेट थप हुने छ )<br>मोटर साईकल पार्किङ | १ घण्टा देखि ५ घण्टा सम्म ६०।-<br>५ ,, ,, १२ ,, ,, ८०।-<br>सो भन्दा माथि रु. १००।-<br>१ घण्टा देखि ५ घण्टा सम्म ३०।-<br>५ ,, ,, १२ ,, ,, ५०।-<br>सो भन्दा माथि रु. ६०।-<br>१ घण्टा सम्म रु.१०<br>सो भन्दा माथि रु.५ प्रति घण्टा थप | १ घण्टा देखि ५ घण्टा सम्म ६०।-<br>५ ,, ,, १२ ,, ,, ८०।-<br>सो भन्दा माथि रु. १००।-<br>१ घण्टा देखि ५ घण्टा सम्म ३०।-<br>५ ,, ,, १२ ,, ,, ५०।-<br>सो भन्दा माथि रु.६०।-<br>१घण्टा सम्म रु.१० | यथावत | |

| | | | सो भन्दा माथि रु.५ प्रति घण्टा थप | | |
|---|---|---|---|---|---|

पुनश्च: यस अमरगढी नगरपालीकाले जथाभावी पार्कीङ गर्ने कार्यलाई निरुत्साहीत गर्न पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन गरी आफुले कार्यबिधि निर्माण गरी निश्चित शुल्क तोकी लागु गर्न सक्नेछ ।

## अनुसूची ११

### ट्रेकिङ्ग,कायोकिङ,क्यानोईङ,बन्जी जम्पीङ,जिपफ्लायर,र्‍यापिटङ शूल्क

| सि. नं | राजस्वको क्षेत्रहरु | चालुआ.व.२०८०।८१ को दर | आ.व.२०८१।८२ का लागि स्वीकृत दर | पुस्ट्याई | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कायोकिङ्ग,कायोकिङ,क्यानोईङ,बन्जी जम्पीङ,जिप फ्लायर,र्‍यापिटङ शूल्क | १५००।- | १५००।- | यथावत | |

अमरगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय डडेल्धुरा सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

CS CamScanner

अनुसूची १२

**सेवा शुल्क/दस्तुर**

अमरगढी नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० मा सेवा शुल्क/दस्तुर अन्तर्गत तथा नयाँ आर्थिक ऐनको लागि निम्न अनुसार दररेट रहेको तथा प्रस्ताव गरिएको छ ।

| सि.नं. | राजस्वको क्षेत्रहरु | | | चालु आ.व.२०८०।८१को दर | आ.व.२०८१।८२ का लागि स्वीकृत दर | पुस्ट्याई | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शिक्षा सेवा | निजी क्षेत्रका (वोर्डिङ) स्थापना र तह वृद्धि सिफारिश दस्तुर | | १५००।- | २०००।- | | |
| | | भाषा, कम्प्युटर , ट्युसन सेन्टर , निजि क्षेत्रका ट्रेनिङ सेन्टरहरु, ईन्स्टिच्युट , शैक्षिक अनुसन्धानमुलक संघ संस्था अनुमती एवं सिफारिस | | सिफारिस | २०००।- | | |
| | | | | अनुमती | ५०००।- | | |
| | | कक्षा ८ परिक्षा फाराम दस्तुर | | ३००।- | ३००।- | | |
| | | कक्षा ८ को मार्कसिट प्रतिलिपि | | २००।- | २००।- | | |
| | | संस्थागत बिद्यालय स्थापना अनुमती, कक्षा थप एवं तह बृद्धी | क्याम्पस तह | ८०००।- | ८०००।- | | |
| | | | मा.बि.तह | ५०००।- | ५०००।- | | |
| | | | आधारभुत तह | ३०००।- | ३०००।- | | |
| | CTEVT बाट मान्यता प्राप्त,निजि बिद्यालय लगायतका OJT गर्न आउने बिद्यार्थीका लागि प्रति बिद्यार्थी OJT शुल्क रु. | | | - | १०००।- | | |
| | अचल सम्पत्ति मुल्याङ्कन<br>यस न.पा.ले आफ्नो क्षेत्र भित्र अचल सम्पत्ति मुल्याङ्कन ,आयस्रोत प्रमाणित गरे बापत प्रतिहजार एक रुपैयाका दरले सेवा शुल्क लगाउने । | | | प्रतिहजार रु१।- | प्रतिहजार रु १ ।- | | |
| | कृषि तथा पशु सेवा | कृषक समुह दर्ता , मझौला साना सिचाई सिफारीस | | २००। | २००।- | | |
| | | कृषि उपज संकलन केन्द्र सिफारिस | | १००० ।- | १००० ।- | | |
| | | कोल्ड स्टोर सिफारिस | | ५०००।- | ५०००।- | | |
| | | कृषि जन्य एवं पशु जन्य व्यवसाय संचालन फर्म सिफारिस | | २०००।- | २०००।- | | |
| | पशु सेवा टिकट दस्तुर | | | | | | |
| | | गाई,भैंसी | | १०।- | १०।- | | |
| | | भेडा,बाखा | | ५।- | ५।- | | |
| | | कुखुरा,हाँस | | ५।- | ५।- | | |

CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | कुकुर,बिराला | | २५।- | २५।- | | |
| | हात्ती,घोडा,बाँदर | | ५०।- | ५०।- | | |
| | अन्य जिव जन्तु,वन्य जन्तु | | ५०।- | ५०।- | | |
| पशुपन्छी निरोगिता प्रमाणित प्रमाणित प्रमाण पत्र /सिफारिस प्रति गोटा | | | | | | |
| | कुखुरा | | १ | १ | | |
| | खरायो | | २ | २ | | |
| | बाख्रा | | ५ | ५ | | |
| | गाई,भैंसी | | २५ | २५ | | |
| पशु बधशालामा मासु जाँच शुल्क प्रति गोटा रु. | | | | | | |
| | खसि,बोका | | ५० | ५० | | |
| | कुखुरा | | ५ | ५ | | |
| | प्रयोगशाला परिक्षण | | | | | |
| | गोबर परीक्षण | | १० | १० | | |
| | पशु बन्ध्याकरण,कृतिम गर्भाधान,गर्भ परिक्षण | | २५ | २५ | | |
| | सब परीक्षण गाई भैसी | | २० | २० | | |
| | सब परीक्षण बाख्रा ,कुखुरा | | १५ | १५ | | |
| | सब परीक्षण कुकुर बिरालो | | १०० | १०० | | |
| विविध<br>बिदेश प्रयोजनका लागि अंग्रेजी भाषामा गरिने सवै प्रकारका सिफारिस र नाता प्रमाणित | | | ५००।- | ५००।- | | |
| महीला समुह , सहकारी दर्ता नविकरण | | | १०० ।- | १०० ।- | | |
| प्रतिलिपि प्रमाणित | | | ५५।- | ५५ | | |
| नक्सा पास दस्तुर निर्माण पछि मापदण्ड पुगेका घरमा न.पा र कन्सल्टेन्सीका ईन्जीनियर हरुको संयुक्त प्रतिबेदन अनुसार प्रति बर्ग फिट तेब्बर दस्तुर लाग्नेछ। | ग्रामिण | पक्की | २ | ४ | | |
| | | कच्ची | २ | २ | | |
| | | ब्यवसायीक | ४ | ५ | | |
| | शहरी | आवासिय पक्की | ४ | ६ | | |
| | | कच्ची आवासिय | २ | २ | | |
| | | ब्यवसायीक | ४ | ८ | | |
| नक्सा नामसारी पैतक | | | २००।- | २००।- | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | „ „ खरीदविक्रि | | १०००।- | १२००।- | | |
| | घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र | | १०००।- | १०००।- | | |
| | नक्सा पास निवेदन दस्तुर | | १००।- | १०००।- | | |
| ८ | नाता प्रमाणित सिफारिश दस्तुर | | १००।- | १००।- | | |
| १० | फर्म व्यवसायीका लागि घरेलु सिफारिश | | ४००।- | ४००।- | | |
| ११ | व्यवसायीक फर्म न.पा. मा दर्ता | | १००० ।- | १००० ।- | | |
| १२ | सहकारी | दर्ता | १००० | १००० | | |
| | | नविकरण | ५०० | ५०० | | |
| | | जरीवाना | ५०० देखी ५०० ० | ५०० देखी ५०० ० | | |
| ३ | जोत नामसारी र घर जग्गा नामसारी सिफारिश दस्तुर | | १००।- | १००।- | | |
| ४ | उधोग तथा कलकारखानाको सर्जमिन सिफारिसमा | | ४००।- | ४००।- | | |
| ५ | चारकिल्ला प्रमाणित दस्तुर रु.<br>प्रति कित्ता थप दस्तुर रु. | | ३५०।-<br>१०।- | ३५०।-<br>१०।- | | |
| ६ | नागरिकता सिफारिस<br>„ प्रतिलिपी „ | | ५०।-<br>२५।- | ५०।-<br>२५।- | | |
| ७ | राहादानी सिफारिश | | ५००।- | ५००।- | | |
| | बिधुत मिटर सिफारिश ग्रामिण क्षेत्र<br>„ शहरी क्षेत्र | | ९०।-<br>३५०।- | ९०।-<br>३५०।- | | |
| | खानेपानी धारा जडान सिफारिश | | ३५०।- | ३५०।- | | |
| | नामथर संशोधन रु | | १००।- | १००।- | | |
| | छुट जग्गा सिफारिश दस्तुर /अव्यबस्थित बसोबास दर्ता ( सिफारिश) प्रमाणित एक रोपनी सम्म<br>एक रोपनी भन्दा माथि प्रति रोपनी थप रु. | | ५०००।-<br>१०००।- | ५०००।-<br>१०००।- | | |
| | बिबिध सिफारिश एक वर्षका लागि | | २५०।- | २५०।- | | |
| | काठ,दाउराका लागि सिफारिश | | ५००।- | ५००।- | | |
| | माल समान वसार पसार सिफारिश | | १५०।- | १५०।- | | |
| | उद्योग स्थापना सिफारिश दस्तुर | साना उद्योग सिफारिश | ४००।- | ४००।- | | |
| | | मझौला उद्योग „ | ७००।- | ७००।- | | |
| | | ठूला उद्योग „ „ | १५००।- | १५००।- | | |
| | | उद्योग व्यवसाय लगत कट्टा ,ठाउँ सारी र नामसारी | २०० | २०० | | |
| | | दुग्ध डेरी उद्योग | १५००।- | १५००।- | | |
| | | अधिकृत बिक्रेता सिफारिश दस्तुर | २००००। - | २००००। - | | |
| | मदिरा जन्य पदार्थ | मदिरा जन्य पदार्थ खुद्रा बिक्रेता सिफारिश दस्तुर | १६०००। - | १६०००।- | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | मदिरा जन्य पदार्थ खुल्ला /बिक्री खोलि बेच्ने सिफारिश दस्तुर | १००००। - | १००००। - | | |
| | | | | | |
| व्यक्तिगत घटना दर्ता निबेदन दस्तुर | घटना घटेको ३५ दिन भित्र | निशुल्क | निशुल्क | | |
| | घटना घटेको ३५ दिन पछि बिवाह दर्ता दस्तुर | २००।- | २००।- | | |
| | " " बसाई सराई दस्तुर रु. | २००।- | २००।- | | |
| | " " जन्म दर्ता दस्तुर रु. | २००।- | २००।- | | |
| | " " मृत्यु दर्ता दस्तुर रु. | २००।- | २००।- | | |
| | " " सम्वन्ध विच्छेद दस्तुर रु | २००।- | २००।- | | |
| | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपी प्रमाण पत्र दस्तुर | ५००।- | ५००।- | | |
| हातहतियार नविकरण दस्तुर | सानो | ५००।- | ५००।- | | |
| " " " | ठुलो | १०००।- | १०००।- | | |
| फोटो प्रमाणित दस्तुर | | ५५। | ५५। | | |
| बक्यौता जरिवाना | १ वर्षका | १५% | | | |
| | २वर्षको | ४५% | १५% | | |
| | ३वर्षको | ६०% | ४५% | | |
| | ४वर्षको | ७५% | ६०% | | |
| | ५वर्ष भन्दा माथिको | ९०% | ७५% | | |
| | | | | | |
| सरसफाई शुल्क | घरधनीको हकमा<br>न्यूनतम १ कोठा भएको १ तले घरलाई रु | २०।- | २०।- | | |
| | २देखि ४ कोठा भएको १ तले घरलाई रु.<br>सो भन्दा माथि प्रति कोठाको थप रु. ५।- | २५।- | २५।- | | |
| | व्यवसायहिरुको हकमा<br>प्रति सटरको रु. | २०।- | २०।- | | |
| | ठूलो होटल रु. | ५०।- | ५०।- | | |
| | मध्यम होटल रु. | ३०।- | ३०।- | | |
| | सानो होटल रु. | २०।- | २०।- | | |
| छाडागाई वस्तुको दण्ड जरिवाना निम्नानुसार | गोरु प्रति १ को | १०००।- | १०००।- | | |
| | गाई प्रति १ को | ५००।- | ५००।- | | |
| | भैसी प्रति १ को | १०००।- | १५००।- | | |
| | सानो चौपाया वाखा खसी प्रति १ को | ५००।- | ५००।- | | |
| | कुखुरा | १००।- | १००।- | | |
| नगरपालीकाको सवारी साधन भाडा | ठूलो टिप्पर भाडा प्रति — १५ दिन सम्म | ७०००।- | ८०००।- | | |
| | १५ दिन भन्दा बढी | ५०००।- | ७००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | दिन इन्धन बाहेक | | | | | |
| | सानो टिप्पर इन्धन बाहेक | प्रति दिन | ५०००।- | ६०००।- | | |
| | ट्याक्टर इन्धन बाहेक | प्रति दिन | ५०००।- | ६०००।- | | |
| | भ्याकुलोडर प्रति घण्टा इन्धन बाहेक | | २२००।- | २७००।- | | |
| बाटो प्रमाणित । सडक प्रमाणित दस्तुर प्रति कित्ता वा सिट | | | १०००।- | १०००।- | | |
| अंशियार प्रमाणित | | | १५०।- | १५०।- | | |
| सगोल प्रमाणित | | | १५०।- | १५०।- | | |
| बैदेशिक रोजगार सेवा | | | १०००।- | १०००।- | | |
| रेडियो पेजिङ | | | ५००।- | ५००।- | | |
| घ बर्गका निर्माण व्यवसायी | नयां ईजाजत पत्र दस्तुर | | २००००। - | २००००। - | | |
| | नामसारी दस्तुर | | १५००।- | १५००।- | | |
| | ठाउसारी दस्तुर | | १०००।- | १०००।- | | |
| | नविकरण दस्तुर असौज सम्म | | २७००।- | २७००।- | | |
| | नविकरण दस्तुर असौज मसान्त पछि चैत्र सम्म | | ३७००।- | ३७००।- | | |
| | १ बर्ष पछि | | ५२०० | ५२०० | | |
| | २ बर्ष पछि | | ६७०० | ६७०० | | |
| गैर सरकारी संस्था दर्ता | मंत्रालय,जिल्ला प्रशासन सिफारिस गर्दा | | ५००।- | १०००।- | | |
| | समाज कल्याण परिषद लाई सिफारिस गर्दा | | १०००।- | १०००।- | | |
| | संस्था दर्ता दस्तुर | | ५०००,- | ५०००,- | | |
| | कार्यक्रम अनुमति तथा स्वीकृतिका लागि | | ५००।- | ५००।- | | |
| | क्लव दर्ता सिफारिस एवं नविकरण | | १०००।- | १०००।- | | |
| | मठ ,मन्दिर, प्रतिठानका लागि सेवा दस्तुर नलाग्ने | | - | - | | |
| | व्यक्तिले मंत्रालयका लागि सिफारिस माग गरेमा | | २००।- | २००।- | | |
| | संस्था नविकरण दस्तुर कार्यक्रम अनुसार | | | | | |
| | क) रु ५००००० ।- सम्मको कार्यक्रमका लागी | | १५००।- | १५००।- | | |
| | ख) रु ५००००० ।- देखी २५०००००।- सम्म | | ३०००।- | ३०००।- | | |
| | ग) रु २५०००००।- देखि १ करोड सम्म | | ४५००।- | ४५००।- | | |
| | घ) १ करोड भन्दा माथि कार्य भएमा | | ७०००।- | ७०००।- | | |
| घरबाटो प्रमाणित | निबेदन दस्तुर रु. | | १०।-- | १०।-- | | |

CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| शन पास | ५०,००० सम्म रु. | २५०।- | २५०।- | | |
| | ५०,००१ देखी २ लाखसम्म रु. | ३००।- | ३००।- | | |
| | २ लाख १देखी ५ लाख सम्म रु. | ३५०।- | ३५०।- | | |
| | ५ लाख १देखी १० लाखसम्म रु. | ६००।- | ६००।- | | |
| | १० लाख १देखी २५ लाखसम्म रु. | १२००।- | १२००।- | | |
| वण्डा गर्दा लाग्ने घरबाटो प्रमाणित दस्तुर | २५ लाखभन्दा माथि रु. | २२००।- | २२००।- | | |
| | निबेदन दस्तुर रु | १०।- | १० | | |
| | ५०,००० सम्म | २००।- | २००।- | | |
| | २ लाख देखी ५ लाख | २५०।- | २५०।- | | |
| | ५ लाखदेखी १० लाखसम्म | ३००।- | ३००।- | | |
| | १० लाखदेखी २५ लाखसम्म | ६५०।- | ६५०।- | | |
| | २५ लाखभन्दा माथि | १५००।- | १५००।- | | |
| म्पत्तिकर/भुमिकर | | | | | |
| ष मसान्त भित्र बुझाएमा चालु आ.व.को छुट | | १०% | १०% | | |
| म्पत्तिकर/भुमिकर वक्यौता जरिवाना बर्ष पछाडी | | २० % | २० % | | |
| बर्ष पछाडी | | ३० % | ३० % | | |
| थानीय न्यायिक समिति अन्तरगत | उजुरी दर्ता | १००।- | १००।- | | |
| | प्रति उत्तर दर्ता दस्तुर | १००।- | १००।- | | |
| | मिलापत्र दस्तुर | ५००।- | ५००।- | | |
| | नक्कल दस्तुर प्रति पाना | ५।- | ५।- | | |
| | तमसुक प्रमाणित | २००।- | २००।- | | |

त दररेटमा २०८० असार मसान्तसम्म रु. ५००,०००।०० सेवा शुल्क/दस्तुर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ८७५। मात्र संकलन भएको छ । त्यस्तै आर्थिक ऐन, २०८० मा सेवाशुल्क करको दरमा कुनै परिवर्तन नगरी ऐन, २०८० जारी भएको र सो ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम २०८० मंसिर महिना सम्म संकलन हुँदा ५७०० सेवा शुल्क/दस्तुर संकलन भएको छ । सो को आधारमा यस आर्थिक बर्षमा करिव ५५००००।०० सेवा दस्तुर प्राप्त हुने देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक बर्षमा सबै वडाले नियमित रुपमा सेवा दिने हुँदा करिब १५% थप यस शिर्षकमा रकम संकलन हुन सक्ने देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा अन्य दस्तुर तथा शुल्कको दर नबढाइकन पनि रु.५५०००००।०० अन्य सेवा शुल्क/दस्तुर संकलन हुने आँकलन रहेको छ ।

**घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क**

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ (१) ख मा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने र सो को संकलन नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा (२) अनुसूचि १ मा भएको व्यवस्था बमोजिम तोकिएको छ । सो बमोजिम घर जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका कार्य हालसम्म पनि नेपाल सरकार मातहतको जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालयले गर्दै आइरहेको छ । सो कार्यालयले प्रदेश आर्थिक ऐनको दफा २ मा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय साधन, श्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालयबाट तोकिएको दर अनुसार शुल्क संकलन गरी बाँडफाँड गर्नुपर्ने छ । यसरी संकलित घर जग्गा र अन्य रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुरको जम्मा रकमबाट साठी प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा र चालीस प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यस किसिमको प्रावधान प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६ मा समेत विद्यमान रहेको र गत आ.व.मा रु.५७००००००।०० प्राप्त हुने आँकलन गरिएकोमा आकलन गरे भन्दा बढी रु.७३२८५९१।६० मात्र प्राप्त भयो । यस आ.व.मा तोकिएको दररेटमा मंसिरसम्ममा रु. ७६५१९९।-प्राप्त भयो ।गत बिगत बर्षको तथ्यांक लाई हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष रु.३००००००।-प्राप्त हुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

CamScanner

## परिच्छेद ३

### ३.१ राजस्व सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन

अमरगढी नगरपालिकाले हालको राजस्व संकलन तथा प्रशासनको अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि विभिन्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुसँग परामर्श गरी अमरगढी नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना २०७९ तर्जुमा गर्न लागेको छ । उक्त राजस्व सुधार कार्ययोजनामा संकलित तथ्यांक, विद्यमान प्रवृत्ति, उपलब्ध सूचनाको विश्लेषण तथा राजस्व सुधार कार्ययोजनामा निर्दिष्ट गरिएका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन हुने मान्यता र त्यसको नतिजा समेतलाई मध्यनजर गरी आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि राजस्व प्रक्षेपण गर्न लागेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार राजस्व परामर्श समितिलाई राजस्वका स्रोत, दायरा तथा दरको विश्लेषण गरी आय अनुमान गर्ने र स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिलाई फागुन महिनाभित्र आगामी तीन आर्थिक वर्षको आय अनुमान गर्ने कार्यमा यो राजस्व सुधार कार्ययोजनाले सहयोग गर्नेछ । त्यसैले हरेक आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित समितिलाई उपलब्ध गराएमा समितिबाट गरिने निर्णयहरूको लागि आवश्यक आधार हुनेछ ।

राजस्व सुधारका नीति, क्रियाकलापहरू तथा बजेट अनुमान पश्चात् राजस्व सुधार कार्ययोजना अनुसारका क्रियाकलापहरू संचालन भए नभएको तथा अनुमान अनुसार आय असुली भएको नभएको सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको आय प्रक्षेपणका लागि त्यस अवधिसम्मको क्रियाकलाप तथा आय असुली अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने तथा आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएपछि सो आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका क्रियाकलापहरू तथा आय असुली अवस्थाको मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । यो राजस्व सुधार कार्ययोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि निम्न चार तहको अनुगमन तथा मूल्यांकन व्यवस्था सिफारिस गरेको छ ।

**(क) कार्यालयस्तरको अनुगमनः** प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व शाखा तथा अन्य सम्बन्धित शाखाका प्रतिनिधिहरू यो योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा बढी सक्रिय रहनु आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकारले कम्तिमा महिनामा एक पटक बैठक बसी योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था तथा असुली अवस्थाको पुनरावलोकन/अनुगमन गरी लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।

**(ख) राजस्व परामर्श समितिबाट अनुगमन तथा मूल्यांकनः** राजस्व परामर्श समितिले चौमासिक रुपमा राजस्व सुधार योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था, आय संकलनको अवस्थाको नियमित अनुगमन गरी कार्यपालिकालाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने कार्य यस अन्तर्गत पर्दछ । त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि आयको अनुमान गर्ने कार्यपूर्व भएका कार्यको मूल्यांकन गरी स्रोत, दर तथा दायरामा सुधारका लागि क्रियाकलाप सिफारिश गर्ने र त्यसको आधारमा आयको अनुमान गर्नु पर्दछ । यसका अतिरिक्त आर्थिक वर्षको समाप्ती पश्चात् राजस्व सुधार योजनाको समीक्षा गरिन्छ ।

**(ग) कार्यपालिकाबाट अनुगमन तथा मूल्यांकनः** कार्यपालिकाको बैठकले राजस्व परामर्श समितिले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई छलफलमा ल्याई आवश्यक निर्णय गर्ने कार्य यस अन्तर्गत पर्दछ । छलफलको क्रममा राजस्व सुधार योजना तथा आय असुली अवस्थाको समीक्षा गरी आवश्यक नीतिगत तथा कार्यगत निर्णय गर्नु आवश्यक भएमा निर्णय गरिन्छ ।

**(घ) बाह्य अनुगमन तथा मूल्यांकनः** राजस्व सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न चाहने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश मन्त्रालय, दातृ निकायहरू आदिले अनुगमनका लागि सहयोग प्रदान गर्न सक्नेछन् । यस्तो अनुगमन प्रणालीको स्थापनाले स्थानीय सरकारको अनुगमन तथा प्रतिवेदन गर्ने क्षमतामा विकास हुनेछ । राजस्व प्रशासन सँग सम्बन्धित तथ्यांक बाहेक योजना कार्यान्वयन प्रक्रियाको अनुगमन तथा करदाताहरूको अनुभूति संकलन पनि अनुगमनको मुख्य विधि हुन सक्नेछ ।

CamScanner

## ३.२ मुख्य सिफारिस

नगरपालिकाको चालु आर्थिक बर्ष, आगामि आर्थिक बर्ष तथा त्रिबर्षीय प्रक्षेपित आय हासिल गर्नका लागि नगरपालिकाले वर्तमान संरचना तथा व्यवस्थापन प्रणालीमा उल्लेख्य परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ। यस सन्दर्भमा सुधारका लागि सुझाइएका कदमहरू निम्नअनुसार रहेका छन्।

- नगरपालिका क्षेत्रमा सवैभन्दा बढि कर तिर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गर्ने।
- बजार क्षेत्र लगायतका स्थानमा भाडामा दिइएको घरको लगत बनाई बहाल करको माध्यमबाट आम्दानी गर्न सकिने।
- राजस्व बापत उठेका रकमहरु छिटो भन्दा छिटो संचित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
- वडा स्तरबाट समेत विद्युतिय प्रणालीबाट कर संकलन गर्न जनशक्ति तथा प्रविधिको थप व्यवस्था गर्ने।
- व्यवसाय कर, सम्पत्तीकर जस्ता क्षेत्रहरुमा संकलनको सम्भावना बढी देखिए पनि यथार्थमा कम संकलन भइरहेकोले यी क्षेत्रहरुमा सही तथ्यांक संकलन गरी प्रभावकारी रुपमा सबैलाई करको दायरामा ल्याई कर संकलन गर्ने।
- नियमित बैठक, अनुगमन लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालनगर्न राजस्व परामर्श समितिको थप क्षमता विकास गर्ने।
- राजस्व शाखा गठन गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा अनुगमन, राजस्व तथ्यांक व्यवस्थापन, राजस्व सम्भावना पहिचान तथा राजस्व प्रक्षेपणलगायतका काममा परिचालन गर्ने।
- प्राकृतिक तथा नदीजन्य वस्तुको बिक्रीको दर व्यवहारिक रुपमा निर्धारण गर्ने तथा सुनिश्चित नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षणमार्फत् अपेक्षित राजस्व र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण सुनिश्चित गर्ने।
- राजस्व सुधार कार्य योजनामा उल्लेख भएका क्रियाकलापहरूलाई पनि प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने
- अघिल्ला बर्षका तथ्यहरुलाई मध्यनजर गर्दै राजस्व परामर्श समितिका सुझावहरुलाई समेत कार्यान्वयन गर्ने।

## ३.२ निष्कर्ष

माथि उल्लेखित आँकडाको अध्ययन तथा विश्लेषणबाट अमरगढी नगरपालिकामा गत आर्थिक बर्षमा रु.१५७०००००।-अक्षेरुपी एक करोड सन्ताउन्न लाख मात्र संकलन भएको आधारमा आगामी आ.व.२०८१।८२ रु १६८४४०००।- अक्षेरुपी अक्षेरुपी एक करोड अठ्सट्टी लाख चवालीस हजार संकलन हुने संशोधित अनुमान गर्न सकिन्छ।

CamScanner